

HRA AN USIUSI The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551] No. 551] नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2003/ज्येष्ठ 28, 1925 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2003/JYAISTHA 28, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2003

का.आ. 710 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"13 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, सं. 7, सं. 11, सं. 19, सं. 24
[27.62 कि.मी. से 166.65 कि.मी.] (गाजियाबाद से मुरादाबाद, हापुड़ और मुरादाबाद बाईपास सहित को छोड़कर) सं. 27, सं. 58, सं. 72ए, सं. 73, सं. 74, सं. 75 [90.00 कि.मी. सं. 103 कि.मी. (मध्य प्रदेश/ उत्तर प्रदेश सीमा से झांसी खंड को छोड़कर)], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76, सं. 86, सं. 87 और सं. 92 के

उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय

राजमार्ग सं. 24 ए, सं. 29, सं. 56, सं. 91, सं. 93, सं. 96 और सं. 97।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार''

[फा. सं. एन एच-14012/4/2002-पी एंड एम]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.नि.आ. 1181 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सं. का.आ. 464(अ) तारीख 26 अप्रैल. 2002 द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2003

S.O. 710 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Transport, number S.R.O. 1181, dated 4th April, 1957, namely:—

1699 GI/2003

In the said notification, in the Schedule, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	. 3
"13	So much of National Highways No. 2A, No.7, No. 11, No. 19, No. 24 [excluding from km. 27.62 to km. 166.65] (Ghaziabad to Moradabad including Hapur and Moradabad Bypasses) No. 27, No. 58, No. 72A, No. 73, No. 74, No. 75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)], National Highways No. 76, No. 86, No. 87 and No. 92 as are situated within the State of Uttar Pradesh and National Highways No. 24A, No. 29, No. 56, No. 91, No. 93, No. 96 and No. 97	State Government of Uttar Pradesh".

[F. No. NH-14012/4/2002-P&M]

ALOK RAWAT, Jt. Secv.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957 and last amended vide S.O. No. 464(E), dated the 26th April, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2003

का.आ. 711 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68), की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उनके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी खंड का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट भूखण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	भूखण्ड किलोमीटर में	
(1)	(2)	(3)	N. J. J.
24	हापुड़ और मुरादाबाद बाइपास सहित हापुड़-मुरादाबाद	59.00 कि.मी. से 166.65 कि.मी.	

[फा. सं. एन एच-14012/4/2002-पी एंड एम]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2003

S.O. 711 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against them in column (2) of the Table of the National Highways as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highways Number	Section	Stretches in Kilometer	
(1)	(2)	(3)	
24	Hapur-Moradabad including Hapur and Moradabad bypasses	Km. 59.00 to Km. 166.65	

[F. No. NH-14012/4/2002-P&M]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.